

फर्द अहकाम  
उनवान कैलाशचन्द्र वनाम रामचंद्र वगै०

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम  
केस संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा 36/2021

18/5/2022

प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2021 को वाद 43/2021 वादत तकासमा व रथाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र 36/2021 वादत अरथाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त अविभाजित भूमि का विना तकासमा करवाए उसका बेचान करने पर आमदा है। अतः वाद 43/2021 के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश किये जाए। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर सभी पक्षकारों की तामील करवाई गई व वाद तामील अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं० 1, 3 से 8, 12, 13/1, 13/4 व 14 के खिलाफ दिनांक 15.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं० 9, 10, 11, 13/2, 13/4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किये कि उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर सोसायटी बन चुकी है अतः उक्त सोसायटी के पट्टा धारियों को पक्षकार बनाये विना वाद/प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित नहीं है।

दिनांक 02.05.2022 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस में भी उक्त तथ्य पुनः दोहराये गये। सभी प्रस्तुत तथ्यों का विवेचन कर न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय किया गया:

प्रथम दृष्ट्या: वादी/प्रतिवादी विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण वाद तकासमा के प्रोपर व आवश्यक पक्षकार है। सभी सहखातेदार निम्न अनुसार अविभाजित कृषि भूमि का तकासमा करवाने के अधिकारी है।

ऐसी स्थिति में यदि कुछ सहखातेदारों द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण कार्य कर शेष सहखातेदारों को उनके हक-अधिकार की भूमि का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उनके अधिकारों का हनन है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला व रुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होता है।

वादों की बहुल्यता/अपूर्ण्य क्षति: प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों ने अपने कथनों से जाहिर किया कि विवादित भूमि पर विना तकासमा व किस्म परिवर्तन कुछ खातेदारों द्वारा सोसायटी काटी जा रही है। वकील उभयपक्ष की बहस व पत्रावली का मनन कर पाया कि उक्त भूमि लगभग 15 पक्षकारों की अविभाजित कृषि भूमि है, विभाजन तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर हक अधिकार होता है। विना विधिवत तरीके से किस्म परिवर्तन इत्यादि किया गया तो कुछ सहखातेदारों को अपूर्ण्य क्षति हो सकती है व विधिपूर्वक तकासमा करने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे वादों की बहुल्यता हो सकती है। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः उक्त निर्णित बिंदुओं के आधार पर यह न्यायालय वाके ग्राम भंगौरी, पटवार हल्का क्षेत्र भंगौरी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवां, तहसील व जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि आराजी खाता संख्या 24 खसरा नम्बर 566 रकबा 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 698 रकबा 4.0848 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 705 रकबा 5.3747 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 5.8173



अरशदीप शर्मा (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

जयपुर शहर प.म.

फर्द अहकाम


उनवान कैलाशचन्द्र वनाम रामचंद्र वगै०

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा ३६ / 202१

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 733 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल  
किता 5 कुल रकबा 16.4782 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षों को  
एक दूसरे के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करने व मौके  
एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत वाद के  
निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय  
आज दिनांक 18/05/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

प्रार्थना

ज्ञाश चव

ला जय

ज